[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना संख्या. 15/2020-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 23 मार्च, 2020

सा.का.नि.......(अ)-आयुक्त, केंद्रीय माल एवं सेवाकर नियमावली, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 80 के साथ पठित केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 44 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, वित्तीय वर्ष 2018-2019 के वार्षिक रिटर्न को सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उक्त नियमों के नियम 80 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणी देने की समय सीमा को 30.06.2020 तक बढ़ातेहैं।

(फा. सं.CBEC-20/06/04/2020–जीएसटी)

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार